न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 99/2018 (2018/00463)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. मदनलाल दत्तक पिता माधवलाल बैरवा निवासी मण्डपिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. नोजी बेवा माधवलाल बैरवा निवासी मण्डपिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर (भीलवाड़ा)।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री राजमल तिवाड़ी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 03.09.2020

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 47 में वर्णित आराजी संख्या 478 रकबा 0.28 हे0 , 479 रकबा 0.38 हे0, 480 रकबा 0.13 हे0, 481 रकबा 0.08, 485 रकबा 0.15 हे0, 486 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.17 हे0 भूमि स्थित है। जिसके लिए जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 प्रस्तुत है।

यह कि चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात मृतक माधवलाल के वक्त से चली आ रही है जो अविभक्त पैतृक सम्पित्ति है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है।

यह कि विपक्षिया व विपक्षिया के पति मृतक माधवलाल ने आज से करीब 35 वर्षो पूर्व जब प्रार्थी 10 वर्ष का था जब विपक्षी संख्या एक व विपक्षी संख्या एक के पति के सामाजिक रीति–रिवाजानुसार प्रार्थी का दत्तक पुत्र रख लिया एवं समाज के मोतबीरों के समक्ष प्रार्थी को दत्तक रखने की घोषणा कर दी तब से ही प्रार्थी विपक्षी संख्या एक के पास बतौर दत्तक पुत्र निवास करता आ रहा है एवं वादग्रस्त आराजियात का काश्त करता चला आ रहा है व विपक्षी संख्या एक की सेवा – चाकरी भरण–पोषण प्रार्थी ही करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या एक ने प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 09.09.2013 को एक दत्तक विलेख लिपिबद्ध भी कर रखा है। प्रार्थी विपक्षी संख्या एक का दत्तक पुत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात में प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है व काश्तलाभ लेता आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि विकसित करने व उपजाऊ बनाने में 5 लाख रूपये का खर्चा कर दिया तथा विपक्षी संख्या एक को भरण – पोषण अदा करता आ रहा है व सेवा – चाकरी करता आ रहा है लेकिन विपक्षी संख्या एक की नियत में बदनीयती आ गई जिससे विपक्षी [illegible] एक प्रार्थी का आधिपत्य हटाने व उक्त आराजियात को अन्य को हस्तान्तरित करने का प्रयास करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। [illegible] प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता श्री राजमल [illegible]

Scanned with CamScanner

अधिकारों की घोषण करना आवश्यक व न्यायोचित है। चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात का प्रार्थी का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अतः इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है। वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या एक किसी को हस्तान्तरित नहीं करें। प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो विपक्षी संख्या एक स्वयं करें न अन्य से करावें।

यह कि विपक्षी संख्या एक वादग्रस्त आराजियात अन्य को विक्रय करने, हस्तान्तरित करने व उक्त आराजियात पर ऋणभार बढ़ाने पर आमादा है तथा प्रार्थी का आधिपत्य हटाने पर आमादा है जिससे विपक्षी संख्या एक उक्त कृत्य को करती हैं तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है। प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है इसके मुकाबले विपक्षी संख्या एक को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है जिससे ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि विपक्षी संख्या एक ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 47 में वर्णित आराजी संख्या 478 रकबा 0.28 हे0 , 479 रकबा 0.38 हे0, 480 रकबा 0.13 हे0, 481 रकबा 0.08, 485 रकबा 0.15 हे0, 486 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.17 हे0 भूमि किसी को हस्तानान्तरित नहीं करें। प्रार्थी के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो विपक्षी संख्या एक व दो स्वयं करें, न अन्य से करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थि जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बावत निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार हैः–

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या एक उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय [illegible] क से महरूम हो जायेगा, इसके मुकाबले विपक्षी संख्या एक को अपूरणीय क्षति [illegible] कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम [illegible] साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सु[illegible] वाद वर्णित आराजियात का विभाजन नही हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित [illegible] अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– विर्णित आराजियात विपक्षी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रार्थी दत्तक पुत्र है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि उक्त आराजियात विपक्षी संख्या एक अन्य को हस्तान्तररित कर देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 47 में वर्णित आराजी संख्या 478 रकबा 0.28 हे0 , 479 रकबा 0.38 हे0, 480 रकबा 0.13 हे0, 481 रकबा 0.08, 485 रकबा 0.15 हे0, 486 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 06 कुल रकबा 1.17 हे0 भूमि को मूलवाद के ताफैसला किसी को हस्तानान्तरित नहीं करें। प्रार्थी के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो विपक्षी संख्या एक व दो स्वयं करें, न अन्य से करावें।

आदेश दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

3 .

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner